

## फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, 31 दिसम्बर वर्ष 2018 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कुलदीप सिंह सोह 2. वर्तमान धारित पद सहायक विद्योक्त अधिकारी  
3. वर्तमान वेतन..... 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2019

क	उस जिले, उपसम्भाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर हो तो बतलाईयें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	यदि विरासत में नहीं हो तो शासन को सूचना देने/अनुमति प्राप्त करने का दिनांक
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सिद्धार्थ लोक सिटी- मानन्द गाँव, भोपाल	डुप्लेक्स- 880 वर्गफिट	-	40.00 लाख- लाभ	खुद 0 <sup>2</sup> 115 पर	वर्ष 2003 में खुद किया गया! खुद खर्च 6.94 लाख	शुद्धि प्राप्त की गई है।
2.	सिद्धार्थ लोक सिटी- मानन्द गाँव, भोपाल	डुप्लेक्स- 660 वर्गफिट	-	32 लाख लाभ	खुद 1 <sup>2</sup> पर (सीमा कोट) के 115 पर	वर्ष 2009 में खुद किया गया- खुद खर्च 12.50 लाख लाभ	खुद की गई है।
3.	ग्राम - लायली, जिला रायसेन 118-118111	-	कुछ भूमि 8.41 एकड़	40.00 लाख लाभ	खुद 0 <sup>2</sup> 115 पर	पेट्टा (पिता जी के हस्तांतरण)	-

यदि विरासत या भेंट नहीं है तो उसके लिये लगाये गये वित्तीय साधनों का पूर्ण विवरणजिनमें नगर, ऋण या भेंट ली है, उसका पूरा पता दिया जाये ।	यदि सम्पत्ति में सुधार/ विस्तार किया गया हो तो उसकी लागत एवं वित्तीय साधनों का विवरण	क्या सुधार विस्तार के लिये शासन को नियमानुसार सूचित किया गया, अनुमति ली गई	सम्पत्ति से वार्षिक आय	यदि सम्पत्ति को बेचा या हस्तांतरण किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण	अभ्युक्ति
9	10	11	12	13	14
1. G.P.F के राशि अहलेय प्रो HDFC बैंक में संचालित।	—	—	—	—	
2. G.P.F के राशि अहलेय प्रो SBI में संचालित।	—	—	40,000 = 00 रु० प्रति माह	—	—
3. —	—	—	30,000 = 00 रु० प्रति माह	—	—
*	जहां लागू न हो काट दीजिये				
**	ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के लगभग मूल्य बतलाया जाये।				हस्ताक्षर..... 25/02/2019
***	इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।				नाम..... कुशीप सिंह डोड
टिप्पणी	मध्य प्रदेश शासकीय सेवक(आचरण)नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि सेवा में पहली बार नियुक्ति के समय ओर उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें ओर उसमें उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो तो उस सम्पत्ति का ब्यौरा दिया जाये ।				पदनाम..... सहायक निदेशक